फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

मदनलाल वगैरह बनाम खेमसिंह वगैरह किस्म मुकदमा 225 RTA न. 176 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/2019	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण की पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं अपील पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।	

प्रार्थीगण पेपसिंह, दुर्गाराम, नारायणराम की ओर से दिनांक 20.11.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी सपठित आदेश 32 नियम 9 (2) सीपीसी जरिये अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुगनमल परिहार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी के साथ मिलावटी कार्यवाही करते हुए मंदिर की भूमि के संदर्भ में राजीनामा माननीय न्यायालय में पेश किया है। अपीलार्थीगण मंदिर की भूमि खसरा नं. 357 गांव कांकाणी पर अवैध रूप से होटल का निर्माण करवा रहे थे। इस कारण अधीनस्थ न्यायायल में मंदिर के हितों की रक्षा करने हेतु रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत वाद में रिसीवर नियुक्ति का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 दिया था। जिसकी पालना में रिसीवर द्वारा वाद ग्रस्त भूमि व निर्माण को कुर्क कर लिया गया था एवं रिसीवर द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। प्रार्थीगण को यह जानकारी मिली है कि उपरोक्त अपील प्रस्तुत होने के साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी उपस्थिति बिना नोटिस तामिल के दर्ज करवाते हुए राजीनाम अपील में पेश कर दिया है, जबकि मंदिर मूर्ति बाबा रामदेव शाश्वत नाबालिग है। उनकी जायदाद के संदर्भ में किसी तरह का राजीनामा मंदिर के हितों के विरुद्ध कानूनन नही किया जा सकता है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने स्वयं को मंदिर का भक्त बताते हुए वाद पेश किया था एवं बाद में यह कथन किये कि उनका कोई हित मंदिर के हितों के विरुद्ध नहीं है। जबकि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 1 2 ने मंदिर के हितों के विरुद्ध राजीनामा पेश किया है। जबकि कानूनन ऐसा करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के व्यवहार को देखते हुए इस अपील में वे मंदिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के हितों के बिलकुल विपरित जाकर कार्यवाही कर रहे है, एवं शाश्वत नाबालिग के हितो पर कुठाराघात कर रहे है जिन्हे इस अपील में बतौर रेस्पोंडेंट भाग लेने से रोकते हुए कार्यवाही से पृथक करना जरूरी है। प्रार्थीगण गाव कांकाणी के निवासीगण है एवं बाबा रामदेव के भक्तगण है। बाबा रामदेवजी में उनकी अटूट श्रद्धा है इसी से प्रेरित होकर प्रार्थीगण मंदिर के हितों की रक्षार्थ अपील में बिना निजी स्वार्थ के पक्षकार बतौर रेस्पोंडेंट अपील में पैरवी करना चाहते है। मामले के तथ्यों को देखते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 को इस अपील की कार्यवाही से पृथक किया जावे एवं प्रार्थीगण को पक्षकार बतौर रेस्पोंडेंट स्थापित किया जावे। ताकि वे अपील में मंदिर के हितों की रक्षा कर सके।

रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थीगण का इस अपील के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। वादी रेस्पोंडेंट ने मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया हुआ है। जब अपीलांट प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे थे जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रोका गया है। अब इस न्यायालय के समक्ष यह अंडरटेकिंग दे दी है कि वे मंदिर की भूमि का कभी भी हस्तांतरण नही करेंगे तथा मात्र मंदिर के हितार्थ ही उपयोग में लेंगें। साथ में ये भी अंडरटेकिंग दी है कि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी उद्धेश्यों की पूर्ति मंदिर के हितार्थ हो जाती है। प्रार्थीगण वाद में पक्षकार नहीं है। वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। यह अपील मात्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरुद्ध दायर है जिसमें अधिकारों का अंतिम न्याय, निर्णयन नही होना है।यदि मंदिर की भूमि पर काश्त नहीं होंगी तो मंदिर का रखरखाव व व्यवस्था संकट में पड़ जायेगी। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत है कि रेस्पोंडेंट वादीगण अपील में राजीनामा पेश किया है। रेस्पोडेंट वादीगण ने कोई राजीनामा अपील में पेश नही किया है, जबकि अपीलांट द्वारा दी गयी अंडरटेकिंग के अनुसार ही अपील का निर्णय करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण वाद में पक्षकार नहीं है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद में पक्षकार वही व्यक्ति हो सकता है जिनका प्रत्यक्ष अधिकार वादग्रस्त विषय वस्तु में निहित हो अथवा जिनसे वादी को क्षति होने की संभावना हो । वादी अपने वाद का सम्पूर्ण रचनाकार होता है एवं उसकी इच्छा के उपर ही पक्षकारों का सयोजन होता है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वादी द्वारा पेश वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में वे वादीगण के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के हकदार हो। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वादीगण के स्थान पर कोई व्यक्ति अपना क्लेम करके वादी बन सकता है। इस अनुसार प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट नहीं बन सकते। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरेः आर.आर.डी. 1989 पेज 809, आर.आर.डी. 1989 पेज 188, आर.आर.डी. 1984 पेज 77, आर.आर. डी. 1988 पेज 654 की नजीरे प्रस्तुत की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में प्रार्थना पत्र पर विचार किया। हस्तगत अपील में प्रत्यक्षतः प्रार्थीगणों का कोई निहित हित दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अपीलाधीन आदेश से व्यथित भी नहीं है। अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में वे शाश्वत नाबालिग बाबा रामदेवजी की मूर्ति की डोली वाली वादग्रस्त भूमि के उपयोग/उपभोग से मंदिर की व्यवस्था के संबंध में भी कोई कथन नहीं करते है। इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थीगण ने पक्षकार बने बिना ही अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश का भी परिशीलन किया। पत्रावली में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत ''अंडरटेकिंग'' पर विचार किया। रेस्पोडेंट संख्या 3 घेवंरराम की ओर से अंडरटेकिंग पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है। अंडरटेकिंग में यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि बाबा श्री रामदेवजी के मंदिर की विगंत वर्षो से सुचारू परम्परागत पूजा-अर्चना बाबत् व्यवस्था किस प्रकार जारी रखी जावेगी जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम कांकाणी ख.न. 357 रकबा 45.05 बीघा ''डोली बनाम श्री रामदेव जी महाराज सा.दे.'' के नाम खातेदारी में होकर इसी उद्धेश्य की पूर्ति के निमित है। मंदिर की रोजमर्रा की विगत व्यवस्था का जिम्मा किसी भी पक्ष ने अंडरटेकिंग में नहीं लिया है। वादग्रस्त भूमि का प्रबंध एवं उसमें से अर्जित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आय कौन पक्षकार हासिल कर मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रखेगा यह भी स्पष्ट नहीं है। अपील और बहस के कथनों से यह भी प्रकट नहीं होता है कि मंदिर की व्यवस्था विवाद उत्पन्न होकर दावा प्रस्तुति के बाद से अब तक सुचारू है। इसलिए प्रस्तुत अंडरटेकिंग अस्वीकार की जाती है। इस आशय का अपीलाधीन आदेश में भी कोई हवाला नहीं है। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित होना आवश्यक हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि जिस निमित है उस मंदिर की पूजा-अर्चना इत्यादि व्यवस्था पूर्ववत सुचारू रहे। इसके लिए अपील के किसी भी पक्ष ने व्यक्ति विशेष को नामित नही किया है। पुजारी संबंधी विवाद का विनिश्चित होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 53/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 को आंशिक रूप से संशोधित/परिवर्धित किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में नियुक्त रिसीवर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के प्रबंधन से प्राप्त आय में सें प्रबंधन व्यय एवं रिसीवर को देय हिस्सा निकाल कर शेष पूंजी से बाबा श्री रामदेवजी की पूर्ववत पूजा-अर्चना की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करावे तथा इसका समुचित लेखा-जोखा रखे जिसका त्रैमासिक आय-व्यय प्रतिवेदन नियमित रूप से अधीनस्थ न्यायालय में पेश करे।

निर्णय सरे इजलाज सुनाया गया।

31/X/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर